न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 137 / 2024

सुरजीत कौर उर्फ छिन्दी पुत्री श्री बुधसिंह उर्फ बुधराम कौम बावरी साकिन वार्ड न. 19 / 23 लालचन्द की ढाणी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर राज0 (फौत) जरिये एलआर

1 / 1. महंत सिंह पुत्र श्री बालसिंह जाति बावरी साकिन वार्ड न. 19 लालचन्द की ढाणी, श्रीगगांनगर राजस्थान

1 / 2 रणजीत कौर पुत्री सरजीत कौर उर्फ छिन्दी पत्नि महंत सिंह जाति बावरी साकिन वार्ड न. 19 लालचन्द की ढाणी, श्रीगगांनगर राजस्थान

1 / 3 लक्ष्मी पुत्री सरजीत कौर उर्फ छिन्दी पत्नि महंत सिंह जाति बावरी साकिन वार्ड न. 19 लालचन्द की ढाणी, श्रीगगांनगर राजस्थान

1 / 4 निहाल सिंह पुत्र सरजीत कौर उर्फ छिन्दी पत्नि महंत सिंह जाति बावरी साकिन वार्ड न. 19 लालचन्द की ढाणी, श्रीगगांनगर राजस्थान

1 / 5 सुरेन्द्र कुमार पुत्र सरजीत कौर उर्फ छिन्दी पत्नि महंत सिंह जाति बावरी साकिन वार्ड न. 19 लालचन्द की ढाणी, श्रीगगांनगरं राजस्थान

1 / 6 रजनी रानी पुत्री सरजीत कौर उर्फ छिन्दी पत्नि महंत सिंह जाति बावरी साकिन वार्ड न. 19 लालचन्द की ढाणी, श्रीगगांनगर राजस्थान

1 / 7 भरत सिंह पुत्र सरजीत कौर उर्फ छिन्दी पत्नि महंत सिंह जाति बावरी साकिन वार्ड न. 19 लालचन्द की ढाणी, श्रीगगांनगर राजस्थान

प्रार्थीगण –

बनाम

1. अमरसिंह उर्फ अमरजीत सिंह पुत्र सन्ती बाई पत्नि बिशनसिंह कौम बावरी निवासी तखत हजारा सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज०
2. भजनलाल पुत्र सन्तीबाई पत्नि बिशनसिंह कौम बावरी निवासी तखत हजारा सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज
3. सुखलाल पुत्र सन्तीबाई पत्नि बिशनसिंह कौम बावरी निवासी तखत हजारा सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. बलेशबाई पुत्री सन्तीबाई पत्नि बिशनसिंह कौम बावरी निवासी तखत हजारा सोहनेवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज०
5. भागवन्ती देवी पुत्री जीतोबाई पत्नि गुरदयाल सिंह कौम बावरी निवासी करनीसर 6 के.एस. डी.तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
6. राजी पुत्री जीतोबाई पत्नि गुरदयाल सिंह कौम बावरी निवासी करनीसर 6. के. एस. डी. तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

7. जंगीरो पुत्री जीतोबाई पत्नि गुरदयाल सिंह कौम बावरी निवासी करनीसर 6 के. एस. डी. तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर राज०

8. कर्मो देवी पुत्री जीतोबाई पत्नि गुरदयाल सिंह कौम बावरी निवासी करनीसर 6 के. एस. डी. तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर राज०

9. गुरदत्त सिंह पुत्री जीतोबाई पत्नि गुरदयाल सिंह कौम बावरी निवासी करनीसर 6 के. एस. डी. तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर राज०

10. संतराम सिंह पुत्र जीतोबाई पत्नि गुरदयाल सिंह कौमं बावरी निवासी करनीसर 6 के.एस. डी. तहसील अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर राज०

11. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री मदन लाल पारीक —— प्रार्थीगण
2. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल —— अप्रार्थी सं. 1 ता 10
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा। ——अप्रार्थी संख्या 11

—:: निर्णय :—

दिनांक:—

अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदन लाल पारीक द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कियह कि उपरोक्त अनवान का वाद पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में जेरकार है। यह कि प्रार्थीगण की पत्नि व माता सुरजीत कौर उर्फ छिन्दी के पिता बुधराम उर्फ बुधसिंह पुत्र हीरा के नाम से तहसील पीलीबगा के चक 47 एस.एस.डब्लयु मे प.न. 63/331 के किला. न. 1ता3, 8 ता 13, 18 ता 23 कृषि भूमि अलोट शुदा वाके है जिसकी तमाम किश्ते बुधराम द्वारा अदा करने पर श्रीमान जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा सनद जारी की गई । सनद की कोपी सलग्न प्रार्थना पत्र है ।

यह कि बुधराम उर्फ बुधसिंह (फौत) के सजरा खानदान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थीगण के ससुर व नाना बुधराम उर्फ बुघसिंह के कोई लड़का नही था। बुंधराम उर्फ बुधसिंह हमेशा प्रार्थीगण के पास ही निवास करते थे तथा उनकी मृत्यु भी प्रार्थीगण के पास श्री गंगानगर मे हुई थी । मृत्य प्रमाण पत्र व राशनकार्ड की नकल सलग्न वाद पत्रा है।

प्रार्थीगण का ससुर व नाना हमेशा प्रार्थीगण के पास ही निवास करता था वह कभी भी अप्रार्थीगण के पास नहीं गया । प्रार्थीगण ही ससुर व नाना बुधराम उर्फ बुधसिंह की सेवा चाकरी किया करते थे तथा ईलाज आदि भी प्रार्थीगण के द्वारा ही करवाया जाता था तथा बुधराम उर्फ बुघसिंह का अन्तिम संस्कार [illegible] तथा अखंड पाठ व अन्य कर्मकाण्ड भी वादीया के निवास स्थान पर किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:00 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण के ससुर व नाना बुधराम उर्फ बुधसिंह की सेवा चाकरी मिन प्रार्थीगण व सरजीत कौर उर्फ छिन्दी ही करते थे। सरजीत कौर उर्फ छिन्दी के द्वारा की जा रही सेवा चाकरी से सरजीत कौर उर्फ छिन्दी का पिता खश था सरजीत कौर उर्फ छिन्दी के पिता की हमेशा यह ईच्छा रही कि अपनी स्वंय की स्वअर्जित कृषि भूमि सरजीत कौर उर्फ छिन्दी को जरिये वसीयत ही दे दी थी। इसलिए सरजीत कौर उर्फ छिन्दी के पिता ने अपनी कृषि भूमि का कब्जा अपने जीवनकाल में ही सरजीत कौर उर्फ छिन्दी को सौप दिया था कब्जा लगातार

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सरजीत कौर उर्फ छिन्दी के पास था व लगातार अब प्रार्थीगण के पास है । सरजीत कौर उर्फ छिन्दी के पिता ने अपने जीवनकाल मे ही दिनॉक 08/12/1987 को एक वसीयत गवाह रोशनलाल पुत्रा बैलीराम जाति खत्री साकिन पुरानी आबादी श्रीगंगानगर व धारूराम पुत्र इन्द्रसिह जाति बावरी साकिन गुडिया तहसील टिब्बी के समक्ष लिखवाकर व अपने अगुंठा निशान कर गवाहो के हस्ताक्षर व अंगुठा करवाकर व शपथ आयुक्त से उसी रोज तस्दीक करवायी थी

यह कि बुधराम उर्फ बुधसिंह की हमेशा ही यह ईच्छा रही थी कि अपनी तमाम भूमि सरजीत कौर उर्फ छिन्दी को दे व उसी अनुसरण मे वसीयत करवा कर अपने सामान व कागजात मे रख दी थी, वसीयत मिलने पर सरजीत कौर उर्फ छिन्दी ने श्रीमान सहायक कलैक्टर महोदय पीलीबगा के न्यायालय में वसीयतानुसार खातेदारी का वाद पेश किया व 212 कास्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें बाद सुनवाई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई स्थगन आदेश की कॉपी तहसीलदार पीलीबंगा व हल्का पटवारी को दी तब ज्ञान हुआ कि अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र दे रखा है । चक 47 एस.एस.डब्लयु का इन्तकाल 256 दिनांक 31/7/2010 आज भी बिना स्वीकृती से रूका हुआ है । इन्तकाल के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का पीलीबगा की रिर्पोट सल्गन वाद पत्र है।

यह कि अप्रार्थीगण ने एक फर्जी वसीयत प्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने की नियत से प्रार्थीगण की भूमि को हड़पने के आशय से अप्रार्थीगण ने कुटरचित वसीयत तैयार करवाई तथा श्रीमान सहायक कलैक्टर महोदय, पीलीबगा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी सरजीत कौर बनाम अमर सिंह आदि मे जवाब दावा मय काउन्टर कलेम के साथ प्रस्तुत की जो कि सरासर गलत व फर्जी है।

यह कि अनबान सुरजीत कौर बनाम अमरसिंह आदि के साथ पेश कि गया प्रकरण संख्या 63/2020 जो अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि. में बाद सुनवाई के दिनांक 29.6.2011 को माननीय सहायक कलैक्टर महोदय पीलीबंगा के द्वारा ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार कर कन्फर्म कर दिया था। फोटो प्रति आदेश प्रकरण संख्या 63/2010 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि मूल वाद श्रीमान सहायक कलैक्टर महोदय पीलीबंगा के द्वारा प्रकरण संख्या 129/10 अनवानी, सुरजीत कौर बनाम अमरसिंह आदि को दिनांक 14.01.2016 को खारीज कर दिया गया था तथा अप्रार्थीगण के द्वारा मुल वाद में प्रस्तुत प्रतिवादपत्र पेश किया गया था जो भी खारीज़ कर दिया था। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त मूल वाद पत्र को खारीज किये जाने पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, हनुमानगढ में अपील की गई थी जो स्वीकार कर वाद पत्र को पुनः विवाधकों के अनुसार सुनकर निर्णय किये जाने का आदेश दिया गया जिस पर यह मूल वाद माननीय की अदालत में आज भी जेरकार है। कि अप्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के खारीज किये जाने पर किसी भी प्रकार से अपील नहीं की गई थी। इसलिए प्रतिवाद पत्र की प्रास्थिती खारीज की है।

यह कि अप्रार्थीगण द्वारा कूटरचित वसीयत को [illegible] शून्य व अवैध घोषित करवाने के लिए माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय [illegible]गा में एक वाद सुरजीत कौर बनाम अमरसिंह आदि पेश किया गया था जो माननीय [illegible] वाद खारीज किया गया जिसकी रूह पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूध अपील की गई जो हनुमानगढ स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय संख्या 2 हनुमानगढ में जेरकार है। जिसमें गुरदतसिंह पुत्र गुरदयाल सिंह हाजिर आ चुके हैं व अप्रार्थी अमरसिंह, भजनलाल, सुखपाल व संतराम बाद तामिल हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

यह की अप्रार्थी अमरजीत आदि ने तमाम तथ्यों को छुपाते हुए एक प्रार्थना पत्र माननीय तहसीलदार महोदय, पीलीबंगा के यंहा तथा कथित कूटरचित वसीयत दिनांक 17.06.1990 को सही बताते हुए, मुताबिक वसीयत के इन्तकाल दर्ज करने की इस्तदुआ की है। प्रार्थीगण को तहसीलदार, पीलीबंगा के द्वारा अखबार में सुचना दी गई, जिससे प्रार्थीगण को ज्ञान हुआ व श्रीमान तहसीलदार महोदय, पीलीबंगा के यंहा आपतियां दर्ज करवाई जा चुकि है।

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तमाम भुमि पर लगातर बुधसिह उर्फ बुधराम के फौत के बाद से ही कब्जा प्रार्थीगण के पास है व आज भी कब्जा प्रार्थीगण के पास है । अप्रार्थीगण के द्वारा अपने बयानों में स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि कब्जा प्रार्थीगण के पास है। इन्हीं आधारों पर प्रथम द्रष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में मानते हुए ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय द्वारा जारि की थी।

यह कि विवादित भुमि का कब्जा आज भी प्रार्थीगण के पास है व शान्ति पुर्वक काश्त करते आ रहे है इस पर प्रथम द्रष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, अगर तहसीलदार महोदय, पीलीबंगा के द्वारा वसीयत के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है तो वाद के चलते हुए व अपील के जैरकार रहते हुए प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी।

यह कि प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर जारि किया जावे कि वाद पत्र के निष्तारण तक प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न करें व राजस्व रिकार्ड में किसी कदर परिवर्तन न किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई जिसपर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी शुदा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का दावा श्रीमान न्यायालय में जैरकार होने के तथ्य स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। बुधराम पुत्र हीरा का कभी भी नाम बुधसिंह नहीं रहा। प्रार्थीया अप्रार्थीगण के नाना बुधराम पुत्र हीरा की पुत्री नहीं है। अप्रार्थीगण के नाना बुधराम के तीन लड़कियां सन्तीबाई, जीतोबाई व छिन्दी थी। जिनमें से सन्तीबाई व जीतोबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा बुधराम की तीसरी पुत्री छिन्दी की शादी के पश्चात् कही बाहर चली गई वह अपनी शादी के बाद अपने पिता बुधराम व अपनी बहनों सन्तीबाई व जीतोबाई से उनके जीवनकाल में कभी मिलने नहीं आई। छिन्दी के जीवित व मृत होने के सम्बन्ध में आज से 30 35 वर्षो से किसी व्यक्ति ने छिन्दी को जीवित देखा । प्रार्थीया अप्रार्थीगण के नाना बुधराम की पुत्री नहीं होकर किसी बुधसिंह नाम के व्यक्ति की पुत्री हो सकती है। प्रार्थीगण ने सही तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया, उक्त कृषि भूमि अब बुधराम के नाम ना होकर हम अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसके हम खातेदार कब्जाधारी काश्तकार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:00 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्शायी गई वंशावली में प्रार्थीया ने छिन्दी के स्थान पर प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के नाना की भूमि हड़पने के लिए अप्रार्थीगण के नाना का नाम उर्फ बुधसिंह व दर्शायी गई वंशावली में अपना नाम मिथ्या अंकित किया है। अप्रार्थीगण के नाना ना तो कभी बुधसिंह रहा तथा ना ही प्रार्थीया अप्रार्थीगण के नाना बुधराम की किसी भी रूप में पुत्री है।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कथन अप्रार्थीगण के नाना बुधराम के कोई लड़का नहीं होने सम्बन्धी कथन स्वीकार है। शेष तथ्य गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। बुधराम की प्रार्थीया किसी भी रूप में पुत्री नहीं रही। अप्रार्थीगण के नाना बुधराम पुत्र हीरा के तीन पुत्रियां सन्तीबाई, जीतोबाई एवम् छिन्दी थी। अप्रार्थीगण बुधराम की पुत्रियां सन्तीबाई व जीतोबाई विधिक वारीसान है। प्रार्थीया का यह कथन पुर्ण रूप से असत्य है कि अप्रार्थीगण का नाना बुधराम कभी भी प्रार्थीया के पास रहा हो। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एंवम् राशनकार्ड अप्रार्थीगण के नाना का नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में दर्ज असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण का नाना बुधराम कभी भी प्रार्थीया के पास नहीं रहा। अप्रार्थीगण के नाना गांव गुड़िया के निवासी थे प्रार्थीया का पति बन्तासिंह अप्रार्थीगण के नाना के नौकर के रूप में कार्य करता था, जो अप्रार्थीगण के नाना बुधराम के जीवनकाल में उसकी कृषि भूमि की सार संभाल करते रहे, अप्रार्थीगण का नाना बुधराम किसी आवश्यक कार्य से गंगानगर गया हुआ था। वहां उसकी अचानक मृत्यु हो गई । प्रार्थीया के पति ने अप्रार्थीगण के नाना के कोई पुत्र नहीं होने का फायदा उठाते हुए अप्रार्थीगण व बुधराम के दामादो को बिना बुलाए अकेले ने बुधराम का अन्तिम संस्कार कर दिया जब अप्रार्थीगण व उनके पिता को बुधराम की मृत्यु व उसके दाह संस्कार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुई तो अप्रार्थीगण ने पंचायत बुलाई जिसमें प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति बन्तासिंह ने अप्रार्थीगण के पैर पकड़ लिए व माफी मांगने लगा जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया व उसके पति को माफ कर दिया व उसके विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, हनुमानगढ़

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन कतई गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने कभी भी अप्रार्थीगण के नाना की सेवा चाकरी नहीं की। अप्रार्थीगण का नाना बुधराम का कभी निवास श्रीगंगानगर में नहीं रहा। अप्रार्थीगण के नाना बुधराम की कभी कोई दिली ईच्छा अपनी भुमि वसीयत के जरिये प्रार्थीया को देने की नहीं रही। प्रार्थीया का पति व प्रार्थीया अप्रार्थीगण के नाना की भुमि पर उसके नौकर की हैसियत से काश्त करते थे। प्रार्थीया का यह कथन पुर्ण रूप से असत्य है कि अप्रार्थीगण के नाना ने दिनांक 08.12.1987 को अथवा अन्य किसी दिवस को प्रार्थीया के पक्ष में अपनी भुमि की कोई वसीयत किन्ही गवाहान के समक्ष निष्पादित की हो। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष में कथित वसीयत पुर्ण रूप से कुटरचित है जो अप्रार्थीगण के नाना द्वारा निष्पादित नहीं है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दिनांक 08. 12. 1987 की वसीयत किसी बुधसिंह नाम के व्यक्ति द्वारा निष्पादित होना अंकित है, जो अप्रार्थीगण का नाना नहीं था। प्रार्थीया द्वारा कथित दिनांक 08.12.1987 की वसीयत में बुधसिंह के एकमात्र पुत्री सुरजीतकौर होना अंकित किया गया है। अप्रार्थीगण के नाना बुधराम के तीन पुत्रियां थी जिसमें से किसी का नाम भी सुरजीत कौर नहीं था। अप्रार्थीगण के नाना बुधराम के तीन लड़किया सन्तीबाई, जीतोबाई व छिन्दी थी। प्रार्थीया एक चतुर महिला है जिसके द्वारा इस वाद एवम् प्रार्थना पत्र से पुर्व एक राजस्व वाद पेश किया गया जिसमें प्रार्थीया ने अपना नाम सुरजीत कौर अंकित किया गया। जब अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थीगण ने बुधराम के तीन पुत्रियां सन्तीबाई, जीतोबाई व छिन्दी होना कथन किया तथा बुधराम के सुरजीत [illegible] होने से इन्कार किया तो प्रार्थीया ने अपने नाम के साथ उर्फ [illegible] दिया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण के नाना की भुमि हड़पने के लिए किस तरह अपना नाम आदि समय मुताबिक बदलती आ रहीं है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:00 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के नाना बुधराम की कभी भी कोई ईच्छा अपनी भुमि प्रार्थीया को देने की नहीं रही थी । अप्रार्थीगण का नाना बुधराम की ईच्छा अपनी भुमि अपनी मृत पुत्रियों सन्तीबाई,

सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

जीतोबाई की सन्तानो को देने की रही थी। उन्होने अपनी ईच्छा अपने मिलने वाले व्यक्तियों के समक्ष प्रकट भी की थी। शेष तथ्यों को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 में दर्ज तथ्य मनगढ़ंत व असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए अपने नाना की कोई कुटरचित वसीयत तैयार नहीं की अपितु अप्रार्थीगण के नाना बुधराम ने अपनी स्वतंत्र ईच्छा व पुर्ण रजामन्दी से दिनांक 17.06.1990 को रोबरू गवाहान अपने नाम दर्ज कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थीगण के पक्ष में निषादित करवाई थी जो किसी भी रूप में कुटरचित नहीं थी तथा इस वसीयत के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में हम अप्रार्थीगण के नाम अमल दरामद हो चुका है।

यह कि प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण के पक्ष में हमारे नाना बुधसिंह उर्फ बुधराम द्वारा हमारे पक्ष में करवाई गई वसीयत दिनांक 17.06.1990 को अकृत्य एंवम् शुन्य घोषित करवाने का दावा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा में पेश किया गया जो दावा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2024 को खारीज फरमाया जा चुका है। नकल निर्णय दिनांक 30.03.2024 संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 कानुनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 11 लाईल्मी होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 12 में दर्ज तथ्य गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के नाना बुधराम ने अपनी स्वतंत्र ईच्छा व पुर्ण रजामन्दी से दिनांक 17. 06.1990 को रोबरू गवाहान अपने नाम दर्ज कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित करवाई थी जो किसी भी रूप में कुटरचित नहीं थी तथा इस वसीयत के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में हम अप्रार्थीगण के नाम अमल दरामद हो चुका है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 13 में दर्ज तथ्य मनगढ़त एवम् गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रशनगत कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण के नाम नाना बुधराम द्वारा अपनी रजामंदी व खुशी तथा स्वतंत्र ईच्छा से करवाई गई वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के पास ना होकर लगातार अप्रार्थीगण के पास चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 14 गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रशनगत कृषि भुमि का कब्जा प्रार्थीगण के पास ना होकर हम अप्रार्थीगण के पास है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन तथा अपुर्णीय क्षति के घटक प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। तहसीलदार पीलीबंगा के द्वारा नाना बुधराम द्वारा अपनी रजामंदी व खुशी तथा स्वतंत्र ईच्छा से करवाई गई वसीयत के आधार पर पुर्ण रिपोर्ट तथा गवाहो के ब्यान आदि दर्ज कर मुताबिक वसीयत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये जा चुके है तथा मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रशनगत कृषि भूमि के अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई की जानी मुश्किल होगी।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 15 अस्वीकार है। प्रार्थीगण किसी तरह की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:00 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृश्टांत प्रस्तुत किये गए–

1. 1995 आरबीजे –476
2. 1982 आरआरडी एनओसी 63
3. 1993 आरआरडी 206
4. 1987 आरआरडी –593

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

5. 1993 आरआरडी –206

बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा 47 एलएलडब्ल्यू बुधसिंह को अलॉट हुआ है जो कि स्वअर्जित रकबा है। प्रार्थीया तीन पुत्रियों है वसीयत 1987 में करवायी गई जिसका इंतकाल 2010 में दर्ज है जो कि स्वीकृत नहीं है क्योंकि स्थगन आदेश था। वाद पत्र एवं प्रतिवाद पूर्व में खारिज है। अस्थाई निषेधाज्ञा पुनः बहाल करवायी गई है। अप्रार्थीगण का इंतकाल नहीं हुआ है। मा. जिला न्यायाधीश के यहां पर वाद विचाराधीन है। प्रश्नगत प्रार्थीया की वसीयत का इंतकाल 02.09.24 को स्वीकृत हो चुका है जो कि वसीयत का इंतकाल गैरकानूनी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि नामान्तरकरण से तय नहीं होता है कब्जा हमारा है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो ता फैसला दावा स्थाई व्ययादेश जारी किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए–

1. आरआरटी 2013–1 पृष्ठ संख्या 133
2. आरआरटी 2013–1 पृष्ठ संख्या 123
3. आरआरटी 2013–2 पृष्ठ संख्या 1301
4. आरआरटी 2013–1 पृष्ठ संख्या 633

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस में कथन किया गया कि अप्रार्थीय का पिता बुध सिंह नाम का व्यक्ति नहीं था बुधराम नाम का व्यक्ति था। छिंदी 40 वर्ष से लापता है। 1990 की वसीयत है जिसको सिविल कोर्ट में चेलेज किया गया है जिसमें सुरजीत कौर साबित नहीं कर पायी की वो छिन्दीं है। कब्जा भी एडमिटड नहीं है। प्रार्थीया द्वारा सिविल कोर्ट में भी अपील जो कि खारिज है। प्रार्थीया बुधराम की पुत्री नहीं है। अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। पानी की पर्ची एवं विद्युत कनेक्शन अप्रार्थी के नाम है प्रथम दृश्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में है कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं है कि बुधसिंह व बुध राम एक व्यक्ति है। बार–बार स्थाई व्यायादेश जारी किया जाना उचित नहीं है। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत रकबा के संबंध में पूर्व में अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया प्रकरण संख्या 63/2010 निर्णय दिनांक 29.06.2011 से अन्तिम निर्णय किया जा चुका है। समान अनवान एवं उसी प्रश्नगत रकबा का प्रार्थना पत्र पर पूर्व में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा चुका है हस्तगत प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत किया गया है जिसपर पुनः निर्णय करना न्याय संगत प्रतीत नही होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:00 IST
Reason: SelfAttested

30/6/2025

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा